

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 फरवरी 2019—माघ 17, शक 1940

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. एफ-6-1-2019-सत्रह-मेडि-1.—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 69(1), 90(1), 138(1) और 150-बी(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निम्नलिखित अधिकारी को उक्त नियमों के भाग सात, आठ एवं चौदह के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा भाग पन्द्रह (ए) के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन और अनुमोदन अधिकारी नियुक्त करता है, अर्थात्:—

(1) श्री मनमोहन मोलासरिया, औषधि निरीक्षक

No. F. 6-1-2019-XVII-Medi-1.—In exercise of the powers conferred by the rules 69(1), 90(1), 138(1) and 150-B(1) of the Druge and Cosmetice Rules, 1945; the State Government, hereby appoint the following officer of the Food and Drugs Administration Madhya Pradesh to be Licensing Authority for the purpose of part VII, VIII and XIV and Licensing and Approving Authority for the purpose of Part XV(A) of said Rules, namely:—

(1) Shri Manmohan Molosaria, Druge Inspactor

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.